



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937

No. 600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

सा.का.नि.744(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 19 जनवरी, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ.), तारीख 19 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) श्री पी.के. मिश्र,

- सदस्य"

महानिदेशक (वाणिज्यिक),

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,

9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली-110124

[फा. सं.1/15/2010-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 38(अ), तारीख 19 जनवरी 2011, द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि.684 (अ), तारीख 16 सितम्बर, 2011, सं. सा.का.नि. 441 (अ), तारीख 12 जून, 2012, सं. सा.का.नि. 486 (अ), तारीख 21 जून, 2012, सं. सा.का.नि. 810(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2012, सं. सा.का.नि. 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2014, सं. सा.का.नि. 569(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, सं. सा.का.नि. 837(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2014 और सं. सा.का.नि. 563(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

G.S.R. 744(E).—In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th January, 2011.

2. In the said notification, for serial number (5) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

"(5) Shri P. K. Mishra, Member".
Director General (Commercial)-I,
Office of Comptroller and Auditor General of India,
9, Deen Dayal Upadhyaya Marg,
New Delhi-110124.

[F. No. 1/15/2010-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, number G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, number G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014 number G.S.R. 569(E) dated 7th August, 2014, G.S.R. 837(E) dated 24th November, 2014, number and G.S.R. 563(E) dated the 20th July, 2015.